राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

*****

क्रमांकः प. 3(5)नविवि/II/2015 जयपुर, दिनांकः 13 JUL 2022

आदेश

अधिकारीगण/कर्मचारीगण, नगर विकास न्यास, कोटा के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर में प्राथमिक जाँच संख्याः 161/2013 दिनाँकः 03.10.2013 विचाराधीन थी।

इसी क्रम में कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा पत्र क्रमाँकः भ्र.नि.ब्यूरो/इन्टें/2022/17-18 दिनाँकः 03.02.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ,

'' अधिकारीगण/कर्मचारीगण, नगर विकास न्यास, कोटा के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर में विचाराधीन **प्राथमिक जाँच संख्याः 161/2013 की जाँच से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, (संशोधित) अधिनियम 2018 के तहत् कोई अपराध घटित होना नहीं पाया गया है। प्राथमिक जांच को ब्यूरो मुख्यालय द्वारा नस्तीबद्ध किए जाने का निर्णय लिया गया है** एवं श्री संदीप दण्डवते, तत्कालीन वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु विभाग को प्रकरण प्रेषित किया गया है। ''

अतः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर से प्राप्त उक्त अभिमत के आधार पर विभाग द्वारा श्री संदीप दण्डवते को दिनाँकः 31.05.2022 को व्यक्तिशः सुनवाई हेतु तलब किया गया तथा समस्त तथ्यों की जांच के उपरांत सक्षम स्तर पर प्रकरण समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड किए जाने के क्रम में प्रेषित
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा।
6. संबंधित अधिकारी।
7. रक्षित पत्रावली।

6/7/2022

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय